न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 08 / 2022

1 गिरधारी पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी खीचड़ो की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बीरबल पुत्र भींवाराम।

2 राजकुमार पुत्र शिशपाल समस्त जाति जाट निवासीगण खीचड़ों की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

3 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

4 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

5 पटवारी पटवार हल्का रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते * सीकर *

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2022
आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मगणढ़
बउनवानी बीरबल बनाम गिरधारी वगैरह मुकदमा
संख्या 211 / 2021

उपस्थिति :

1. श्री नसीर अहमद खांन, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 16-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 211/2021 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने ग्राम खीचड़ो की ढ़ाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 123,124 बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 29.03.2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 10.05.2022 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की। इससे व्यथित होकर अंतिम डिक्री के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। दिनांक 29.03.2022 को विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक ड्रिकी पारित करने के उपरान्त विभाजन प्रस्ताव आई.एल.आर द्वारा तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित करने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विधि अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय को पक्षकारों को सूचित कर तैयार करने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय में इस आज्ञापक प्रावधान की पालना नही की गई है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही थी। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट की सम्यक तामील के उपरान्त विधि अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के पिता द्वारा किये गये विभाजन के अनुसार तैयार किये गये है। सभी को बराबर बराबर रकबा दिया गया है। गैर मुमकिन कुआं तीनों की सीमाओं पर है। रास्ते का प्रावधान रखा गया है। तीनो ने अपने अपने हिस्से पर मकान बना रखे है। बटवारे से सभी पक्ष सहमत है। अपील निराधार व मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है दिनांक 29.03.2022 को विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक ढ्रिकी पारित करने के उपरान्त विभाजन प्रस्ताव आई.एल.आर द्वारा तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित करने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विधि अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय को पक्षकारों को सूचित कर तैयार करने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय में इस आज्ञापक प्रावधान की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व अन्तिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.03.2023 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 18-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
* सीकर *